न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम.नं. 2023 / 352

मुकदमा नम्बर 85 / 2023 दायर दिनांक–14.08.2023

1. मखनलाल पुत्र उदाराम
2. श्रीचन्द पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी निवासी नेहरों की ढाणी कोलसिया ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र उदाराम
2. महाबीर पुत्र उदाराम
3. रामस्वरूप पुत्र कुरडाराम
4. रामकुमार पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी निवासी नेहरों की ढाणी कोलसिया,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
5. बी.ओ.बी. शाखा कोलसिया
6. एस.बी.आई. शाखा मैन मार्केट नवलगढ़

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री सुरेश कुमार सिगड़

अनावेदक – राजीनामा पेश (अना.सं. 3 व 4)

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश :: दिनांक –02 / 04 / 2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम नेहरा की ढाणी पटवार हल्का कोलसिया के ख.नं. 46 मे से मुताबिक नजरी नक्शा 12 फुट चौडा रास्ता दिलाया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदक की जारी की गई। आवेदक व अनावेदक सं. 3 व 4 की और से एक राजीनामा प्रा. पत्र इस कदर पेश किया गया की, अनावेदक सं. 1 व 2 आवेदकगण के सगे भाई है, जिनसे कोई विवाद नही है। आवेदक की जमीन खसरा नं. 45 है तथा अनावेदक सं. 3 व 4 की जमीन ख.नं. 46 है जिसके रिकार्डेड खातेदार है । पक्षंकारों ने आपसी राजीनामा कर लिया है तथा मौके पर रास्ता भी दे दिया है। अतः राजीनामा प्रा. पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके की रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 46 ग्राम नेहरों की ढाणी में पश्चिमी तरफ 4 मीटर चौडा रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा ख.नं. 46 में उत्तरी

Scanned with CamScanner

तरफ सटकर आवेदक की जमीन ख.नं. 45 में से रास्ते के बराबर जमीन ख.नं. 46 मे जोडी जावे। इसी अनुसार पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट राजस्व/23/529 दिनांक 11/12/2023 पेश हुई जो शा.मी. की गई।

बहस राजीनामा प्रा. पत्र पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा. पत्र आपसी सहमति,राजीनामे का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा मुताबिक राजीनामा प्रा. पत्र, यह प्रा. पत्र 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौके की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नेहरों की ढाणी ख.नं. 46 में पश्चिमी तरफ से ख.नं. 45 की सीमा तक लम्बाई 114 मीटर तथा चोडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर रास्ता सिवायचक दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा उक्त रास्ते मे जितनी भूमि ख.नं. 46 से गई है उसके बदले ख.नं. 46 में उत्तरी तरफ सटकर आवेदक की जमीन ख.नं. 45 में से (रास्ते के बराबर जमीन) ख.नं. 46 मे जोडी जावे। तदनुसार ही रास्ते मे जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल का समायोजन ख.नं. 45 के रकबे से किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे आवश्यक अमलदरामद व दुरूस्ती की जावे। सुलभ संदर्भ हेतु पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रा. पत्र दिनांक 15/12/2023 तथा तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट राजस्व/2023/529 दिनांक 11/12/2023 उक्त आदेश का भाग होगी।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद कर मौके पर पालना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner